यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सचिव विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सचिव विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड,** के जुलाई 2015 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 16.08.2018 से 28.08.2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर एवं श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा, दिनांक 27.07.2015 से 06.08.2015 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2002 से 06/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य है इकाई का क्रियाकलाप राज्य में माध्यमिक शिक्षा परीक्षाओ संचालन किया जाना है

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन ₹	व्यय ₹	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 108 परीक्षायें	317.62	314.21	-	3.41
2016-17	-तदैव-	605.30	603.19	-	2.11
2017-18	-तदैव-	609.10	529.46	-	79.64

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन ₹	व्यय ₹	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान	881.40	877.43	-	3.97
2016-17	-तदैव-	831.61	696.82	-	134.79
2017-18	-तदैव-	890.70	841.32	-	49.38

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्राप्त ` **		**व्यय `**			**बचत**	
		GoI	State	GoI	State	Total	GoI	State
2015-16	----------शून्य----------							
2016-17								
2017-18								
योग:								

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	**Year**	**Name of Society/ NGO involved**	**Government expenditure through Society/NGO**
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	---शून्य---	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जा रहे है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **सचिव विद्यालयीशिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल,** उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह फ़रवरी 2018 एवं मार्च 2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। सचिव विद्यालयीशिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल, द्वारा योजनाओ का संचालन किया जाता है ।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- परीक्षा वर्ष 2018 के परीक्षा मूल्यांकन केन्द्रों से ₹ 18.26 लाख का समायोजन अप्राप्त रहना।

परिषदीय परीक्षा वर्ष 2018 मे परीक्षा मूल्यांकन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों मे 30 परीक्षा केंन्द्रो को ₹ 2,30,40,500/- का मूल्यांकन अग्रिम तथा आकस्मिक व्यय एवं ट्रक भाड़ा ₹ 6,91,000/-(कुल ₹ 2,37,31,500/-) दिनांक 16.02.2018 को दिया गया था। मूल्यांकन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन समाप्ती के एक माह के भीतर अग्रिम का समायोजन अवश्यक रूप से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, को उपलब्ध कराएगे। वर्ष 2018 हेतु हाईस्कूल एवं इन्टरमिडियट परीक्षाओ की तिथि 05.03.2018 से 24.03.2018 तथा मूल्यांकन हेतु 01.04.2018 से 15.04.2018 तिथि निश्चित की गयी थी। मूल्यांकन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन समाप्ती के एक माह के भीतर यानि 15.05.2018 तक मूल्यांकन हेतु अग्रिम का समायोजन (वर्धमान पंजिका) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद को आवश्यक रूप से भेजी जानी थी। परिषदीय परीक्षा वर्ष 2018 परीक्षा मूल्यांकन से संबंधी अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (08/2018) तक ₹ 2,13,42,700/- का ही परीक्षा मूल्यांकन समायोजन परिषद के पास उपलब्ध था ₹16,97,800/- का समायोजन आना शेष था तथा परीक्षा के सफल संचलनार्थ आकस्मिक व्यय एवं ट्रक भाड़ा ₹ 6,91,000/- का अग्रिम दिया गया था जिसके सापेक्ष ₹ 5,63,000/-का आकस्मिक व्यय एवं ट्रक भाड़ा का ही समायोजन परिषद के पास उपलब्ध था ₹ 1,28,000/- का समायोजन अनुपलब्ध था। परिषद के पास ₹ 2,37,31,500/ के अग्रिम के विरुद्ध ₹ 18,25,800/- (1697800+128000) का समायोजन अनुपलब्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि केवल 09 मूल्यांकन केन्द्रों द्वारा समायोज वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गए हैं जिन्हे चेतावनी देते हुये अवगत कराया जाएगा। विभागीय उत्तर से स्वत: ही स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथि तक भी समायोजन वाउचर विद्यालयी शिक्षा परिषद को उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

अत: ₹ 18.26 लाख के समायोजन वाउचर विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, को उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर:2- राजकीय वाहन की GVR संबंधी कटौती अधिकारी के वेतन से न किया जाना ₹ 13226/-।

शासनादेश संख्या- 84/XXVII(7)50(06)/2017 दिनांक 07 जून 2017 में राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ी की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव के संबंध में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है, को राजकीय कोष में जमा किए जाने वाले प्रति वाहन, प्रति माह की राशि में वृद्धि करते हुये दिनांक 01 मई 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 2000/- निश्चित कर दी जाये।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर(नैनीताल) में श्रीमति नीता तिवारी/ सचिव को दिनांक 13/12/2017 से वाहन आवंटित था, जबकि सचिव महोदया के माह मार्च 2018 से जुलाई 2018 तक के वेतनों से प्रति माह ₹ 400/- की दर से कुल ` 2000/- GVR कटौती की गयी थी।

जबकि दिनांक 13/12/2017 से 31/07/2018 तक ₹ 2000/- प्रति माह के दर से कुल ₹ 15226/- धनराशि वसूल किया जाना था, इस प्रकार 15226[1]-2000= ₹ 13226/- की GVR वसूली किया जाना शेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि GVR कटौती से संदर्भित नवीन शासनादेश का संज्ञान न होने के कारण GVR की कटौती पूर्व निर्धारित दरों पर ही की गयी थी, व पूर्व अवशेष धनराशि ₹ 13226/- मात्र सचिव महोदया के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चालान के माध्यम से वेतन से कटौती कर राजकोष में जमा कर आगामी संपरीक्षा दल के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है, अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] माह दिसम्बर मे GVR= ₹1226/- होना चाहिये।

(2000÷31)X19 = 1226/-

STAN

प्रस्तर:1- सामान्य भविष्य निधि खाते से अस्थायी अग्रिम ₹ 3,00,000/- के सापेक्ष पूर्ण वसूली न हो पाना ₹ 20,000/-।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि पासबुक तथा लेजर की लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया था कि श्री प्रदीप कुमार/संयुक्त सचिव, (भविष्य निधि लेखा संख्या CO Edu/8910) द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 में ₹ 3,00,000/- अस्थायी अग्रिम के रूप आहरण किया गया था, जो कि ₹ 10,000/- प्रतिमाह के तीस (30) किस्तों में वसूली की जानी थी। किस्तों की वसूली माह अगस्त 2009 से प्रारम्भ हो चुकी थी, तथा माह 08/ 2012 तक 28 किस्तों की वसूली हो चुकी थी, अतः दो (02) किस्तों की वसूली होनी शेष रह गयी थी। इस प्रकार श्री प्रदीप कुमार(संयुक्त सचिव) से कुल ₹ 20000/- की वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक शेष थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि श्री प्रदीप कुमार(संयुक्त सचिव) राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हेतु कार्यमुक्त हो गए थे, तत्समय उक्त संस्थान द्वारा शेष 02 किस्तों की वसूली की जानी थी, जो उनके द्वारा नहीं की गयी थी। जिसके संबंध में परिषद कार्यालय द्वारा समय-समय पर पत्राचार भी किया गया किन्तु कटौती अद्यतन संबद्ध कार्यालय द्वारा नहीं की गयी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, चूंकि 28 किस्तों की वसूली वर्ष 2012-13 तक हो चुकी थी, व अंतिम 02 किस्तों की वसूली वित्तीय वर्ष 2017-18 तक लंबित थी। अतः इतने वित्त वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी वसूली लंबित रहना अनियमितता का प्रमाण है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

क्रमांक	**प्रतिवेदन संख्या**	**भाग दो अ**	**भाग दो ब**	**नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी**
1.	62/2015-16	1	1,2 एवं 3	1,2,3 एवं 4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पूर्व मे कार्यालय महालेखाकर लेखापरीक्षा को प्रेषित की जा चुकी है, प्रति पत्रावाली मे संलग्न है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **सचिव विद्यालयीशिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1॰	श्री विनोद प्रसाद सिमिल्टी	'सचिव' (प्रभारी)	01.07.2015 से 30.07.2015
2॰	श्री रुपेन्द्र दत्त शर्मा	'सचिव'	31.07.2015 से 05.01.2017
3॰	श्री विनोद प्रसाद सिमिल्टी	'सचिव' (प्रभारी)	06.01.2017 से 12.12.2017
4॰	डा0 नीता तिवारी	'सचिव'	13.12.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सचिव विद्यालयीशिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल,** उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, "महालेखाकर भवन" कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.